उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 79/2023/852/छप्पन-2023-05/1996
लखनऊ, दिनांक: 31 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

नियुक्ति

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के अधीन अनुरक्षण इकाई में वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यरत श्री हरजीत सिंह को उक्त पद पर वर्तमान में प्राप्त हो रहे मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 01 अगस्त, 2023 से 02 वर्ष (31 जुलाई, 2025 तक) की अवधि के लिए मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय के पद पर संविदा सेवा के आधार पर श्री राज्यपाल नियुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2- श्री हरजीत सिंह को मुख्य अभियन्ता के पद पर उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते आदि देय नहीं होंगे। श्री हरजीत सिंह से मुख्य अभियन्ता के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति/कार्य करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी प्रति उन्हें एवं शासन को निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

3- श्री हरजीत सिंह द्वारा यदि मुख्य अभियन्ता के पद पर दिनांक 01 अगस्त, 2023 को कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उक्त पद से सम्बन्धित उनका अभ्यर्थन स्वत: निरस्त समझा जाएगा। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्य पत्राचार नहीं किया जाएगा।

आनन्द कौशिक
अनु सचिव

पृ0सं0-79/2023/852(1)/छप्पन-2023-05/1996 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री हरजीत सिंह से मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्य करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी प्रति उन्हें एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. श्री हरजीत सिंह, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in